न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

<u>वाद संख्या 17/2019</u>

1. बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद उम्र 30 साल
2. रामलाल पुत्र प्रहलाद उम्र 42 साल

जाति यादव निवासी ढाणी भानी मिश्रावाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादी

<u>दावा बाबत् घोषणा दुरुस्ती रिकॉर्ड</u>

उपस्थित – 1. श्री भंवर सिंह चौधरी वकील वादीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक – 28.12.20

संक्षेप में वाद वादीगण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है0, 2202, 2203, 2204, 2213, 2216 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है0, 2215 रकबा 0.54 है0 तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित है। वादी –1 का वास्तविक नाम बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद है जिसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक आदि में बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद ही दर्ज है परन्तु उक्त कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में बद्रीप्रसाद पुत्र प्रहलाद अंकित कर दिया गया जो वादी संख्या 1 के घर पर बद्रीप्रसाद के नाम से पुकारने के कारण दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नं0 2202, 2203, 2204, 2213, 2216 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है0 की खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद ही दर्ज है। अतः कृषि भूमि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है, एवं 2215 रकबा 0.54 है0 में वादी संख्या 1 का नाम बद्रीप्रसाद पुत्र प्रहलाद के स्थान पर बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद घोषित कर दुरुस्त किया जाना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.01.06 17:01:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

... सम्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या
दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

इसी प्रकार वादी –2 का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र प्रहलाद है जिसके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पास बुक आदि में रामलाल पुत्र प्रहलाद ही दर्ज है परन्तु उक्त कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में रामस्वरुप पुत्र प्रहलाद अंकित कर दिया गया जो वादी संख्या 2 के घर पर रामस्वरुप के नाम से पुकारने के कारण दर्ज कर दिया गया अतः उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 2 का नाम रामस्वरुप पुत्र प्रहलाद के स्थान पर रामलाल पुत्र प्रहलाद घोषित कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी होने तथा प्रतिवादी को दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है, एवं 2215 रकबा 0.54 है0 तन ग्राम दिवराला में वादी संख्या 1 का नाम बद्रीप्रसाद पुत्र प्रहलाद के स्थान पर बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद तथा कृषि भूमि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है0, 2202, 2203, 2204, 2213, 2216 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है0, 2215 रकबा 0.54 है0 तन ग्राम दिवराला के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 का नाम रामस्वरुप पुत्र प्रहलाद के स्थान पर रामलाल पुत्र प्रहलाद घोषित कर दुरुस्त किया जावे एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने स प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला स्थित भूमि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है, एवं 2215 रकबा 0.54 है0 में वादी संख्या 1 का नाम बद्रीप्रसाद पुत्र प्रहलाद दर्ज रिकॉर्ड है एंव वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है0, 2202, 2203, 2204, 2213, 2216 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है0, 2215 रकबा 0.54 है0 तन ग्राम दिवराला के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 का नाम रामस्वरुप पुत्र प्रहलाद दर्ज रिकॉर्ड है। वादी का कथन कि वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद तथा वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम रामलाल पुत्र प्रहलाद है एवं राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] रूप से क्रमशः बद्रीप्रसाद पुत्र प्रहलाद एवं रामस्वरुप पुत्र प्रहलाद दर्ज कर दिया है [illegible] वादीगण ने परिवार राशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.01.06 17:01:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत दिवराला का प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, अंकतालिका, प्रस्तुत किया है जिसमें वादी संख्या 1 का नाम बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद तथा वादी संख्या 2 का नाम रामलाल पुत्र प्रहलाद दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वाद वादीगण बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला स्थित भूमि आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है, एवं 2215 रकबा 0.54 है0 में वादी संख्या 1 का नाम **बद्रीप्रसाद पुत्र प्रहलाद** के स्थान पर **बद्रीनारायण पुत्र प्रहलाद** तथा कृषि भूमि खसरा नंबर 2223 रकबा 0.72 है0, 2202, 2203, 2204, 2213, 2216 कुल किता 5 कुल रकबा 3.06 है0, 2215 रकबा 0.54 है0 तन ग्राम दिवराला के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 का नाम **रामस्वरुप पुत्र प्रहलाद** के स्थान पर **रामलाल पुत्र प्रहलाद** घोषित कर दुरुस्त दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.01.06 17:01:41 IST
Reason: SelfAttested